समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

# समग्र शिक्षा अभियान
(सेकेण्ड्री एजुकेशन)
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/समग्र शि.अ./कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर/2026–27/2489 भोपाल, दिनांक - 03/08/2026.

प्रति

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश

विषय- समग्र शिक्षा अभियान एवं PMSHRI योजनान्तर्गत अकादमिक वर्ष 2026-27में ICT इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एवं अन्य को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में |

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत अकादमिक सत्र 2025-26 में समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर,स्पेशल एजुकेटर,प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के लिए आवेदकों को एजुकेशन पोर्टल अंतर्गत 3.0 POMS माड्यूल द्वारा आमंत्रित करने की प्रक्रिया की गई थी।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आमंत्रित करने संबंधी कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल अंतर्गत 3.0, POMS माड्यूल के माध्यम से प्रचलन में है |

सत्र 2025-26 में कार्य कर चुके अलग-अलग श्रेणियों में कुल 604 आवेदक जिनका POMS माड्यूल पर पंजीयन GFMS पोर्टल पर डाक्यूमेंट अपलोड नहीं होने से इन्हें पुनः पंजीयन की सुविधा तथा **सत्र 2025-26 में कार्य कर चुके स्पेशल एजुकेटर को सत्र 2026-27 में आमंत्रित करने संबंधी कार्यवाही** निम्नलिखित समय सारणी अनुसार किया जाना है |

| क्र. | गतिविधियां | कार्यवाही स्तर | समयसीमा |
|---|---|---|---|
| 1 | अकादमिक सत्र 2025-26 में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर,स्पेशलएजुकेटर,प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत आवेदकों द्वारा एजुकेशन पोर्टल अंतर्गत 3.0 POMS माड्यूल पर पंजीकरण करना तथा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना | | आवेदक द्वारा | 03-08-2026 से 05-08-2026 |
| 2 | उपस्थिति रिक्वेस्ट का शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण करना | | शाला प्रभारी द्वारा | 03-08-2026 से 05-08-2026 |

2. तलिका-1 में उल्लेखित समयसारिणी के अनुसार गतवर्ष कार्यरत आवेदक के द्वारा दर्ज रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी के प्रमाणीकरण उपरांत दिनांक 05.08.2026 से आवेदक को शाला में उपस्थित कराया जाए तथा कार्यवाही को एस.एम.डी.सी की बैठक में अनुमोदित किया जाए।
3. आईसीटी कम्प्यूटर लैब के स्थापित होने की स्थिति में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाये।
4. जिन विद्यालयों में प्री-प्राईमरी शिक्षक , क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक (गायन-वादन ) विषय में शिक्षकों के पद स्वीकृत एवं भरे हुये हों वहां प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में यदि उक्त श्रेणी के शिक्षकों की पदस्ती होती है तो सम्बंधित विषय में आमंत्रित मैनपावर को निरंतर नहीं रखा जायेगा।

3/8/26
(नंदा भलावे कुशरे)
अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा अभियान(से.एजु.)
मध्यप्रदेश

क्रमांक/समग्र शि.अ./कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर/2025–26/2490 भोपाल, दिनांक - 03/02/2026.

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक (यू .सी.आर) लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. महाप्रबंधक, निक्सी विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनमें पत्र में उल्लेखित तालिका के अनुसार योजनाएं संचालित है।

अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा अभियान(से.एजु.)
मध्यप्रदेश